रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2016/फाल्गुन 19, 1937
No. 84] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2016/ PHALGUNA 19, 1937

indiacode

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

अधिसूचना

अध्यादेश संख्या-1

अहमदाबाद, 8 मार्च, 2016

सं. सीनेट/26-11-14.—राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 31 (1) में प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए, सीनेट ने 26 नवंबर, 2014 का आयोजित अपनी बैठक में अधिनियम की धारा 30 (घ) और 35 के मद्देनजर डिजाइन स्नातक (बी. डेस.) की डिग्री, डिजाइन परास्नातक (एम.डेस.) की डिग्री और डिप्लोमा (जीडीपीडी और पीजीडीपीडी) देने के संबंध में संकल्प लिया और अध्यादेश बनाया अध्यादेश पर संस्थान की शासी परिषद द्वारा 09 दिसम्बर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में अधिनियम की धारा 31 (2) के अनुसार विचार किया गया।

तत्पश्चात्, सीनेट द्वारा 12 जनवरी, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अध्यादेश को संशोधित और पारित किया गया तथा शासी परिषद द्वारा 18 जनवरी, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में इस पर विचार किया गया।

1. लघु शीर्षक और शुरुआत :

क. इस अध्यादेश को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान पूर्वस्नातक डिग्री (बी. डेस.) स्नातकोत्तर डिग्री (एम. डेस.) और डिप्लोमा(जीडीपीडी और पीजीडीपीडी) अध्यादेश, 2014 कहा जाए।

ख. यह अध्यादेश 26 नवंबर, 2014 को आयोजित सीनेट की बैठक में संकल्प पारित करने की तारीख से लागू होगा।

2. परिभाषा और व्याख्याः

क ."बैचमैट्स" का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने किसी विशेष वर्ष में एक ही प्रवेश परीक्षा में अर्हता पाने के बाद संस्थान के अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है।

ख ."कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना" का अर्थ है संस्थान के छात्रों द्वारा वांछित परीक्षाओं को पास करना और जूरी और आवश्यक क्रेडिट और ग्रेड अर्जित करना है।

3. डिजाइन स्नातक (पूर्वस्नातक डिग्री), डिजाइन परास्नातक (स्नातकोत्तर डिग्री) और डिजाइन स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम तथा डिजाइन स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रोग्राम प्रदान करना।

यह संस्थान उन छात्रों को डिजाइन स्नातक (बी. डेस.) और डिजाइन परास्नातक (एम. डेस.) डिग्रियां देगा जिन्होंने अध्ययन के वांछित कोर्स किए हैं और क्रमश: पूर्वस्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर कोर्सों को सफलतापूर्वक पूरा किया है तथा इस अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद दीक्षा ले रहे हैं।

परंतु ऐसे सभी छात्र को, जिनके बैचमैट्स को इस अधिनियम के अधिनियमन से पहले किसी समारोह में डिप्लोमा दे दिया गया है, कोर्सों के सफलतापूर्वक पूरा करने पर अपने बैचमैट्स के समान ही डिजाइन में स्नातक डिप्लोमा प्रोग्राम या डिजाइन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रोग्राम दिया जाएगा।

प्रद्युम्न व्यास, निदेशक, एनआईडी

[विज्ञापन-III/4/असा. /153(390)]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN

NOTIFICATION

ORDINANCE No. 1

Ahmedabad, the 8th March, 2016

No. Senate/26-11-14.—In pursuance to the powers conferred under section 31(1) of the National Institute of Design Act, 2014 (hereinafter referred to as "the Act"), the Senate in its meeting held on November 26, 2014 had resolved and made Ordinance regarding award of Bachelors of Design (B.Des.) degree, Master of Design (M.Des.) degree and Diplomas (GDPD and PGDPD) in view of sections 30 (d) and 35 of the Act. The Ordinance was considered as per section 31(2) of the Act by the Governing Council of the Institute at its meeting held on December 9, 2014.

Thereafter, the Ordinance was amended and again passed by the Senate in its meeting held on January 12, 2016, and considered by the Governing Council in its meeting held on January 18, 2016.

1. Short Title and Commencement:

a. This Ordinance may be called the National Institute of Design Undergraduate Degree (B.Des.), Postgraduate Degree (M.Des.) and Diplomas (GDPD and PGDPD) Ordinance, 2014.

b. This Ordinance shall come into force from the date of resolution passed in the Senate meeting held on November 26, 2014.

2. Definition and Interpretation:

a. "Batch-mates" means students who have joined the courses of studies of the Institute after qualifying the same entrance test in any particular year.

b. "Successful Completion of Courses" means the passing of required examinations, juries and earning requisite credits and grades, by the students of the Institute.

3. Award of Bachelor of Design (Under Graduate degree), Master of Design (Post Graduate degree) and award of Graduate Diploma Programme in Design and Post Graduate Diploma Programme in Design.

The Institute shall confer Bachelor of Design (B.Des.) and Master of Design (M.Des.) degrees on the students who have undergone requisite courses of studies and on successful completion of courses at Undergraduate level and Post Graduate level respectively, and are convocating after enactment of the Act.

provided that all such students, whose batch-mates have been conferred Diplomas in convocations prior to enactment of the Act, shall be awarded Graduate Diploma Programme in Design or Post Graduate Diploma Programme in Design at par with their batch-mates, on successful completion of courses.

PRADYUMNA VYAS, Director, NID

[ADVT.-III/4/Exty./153(390)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.